सामुदायिक सुविधाओं की स्थापना

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–1

संख्या : सी0एस0 86/9 आ–1–98

लखनऊ : दिनांक : जुलाई 24, 1998

//कार्यालय ज्ञाप//

विषय : **प्रदेश में दूर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराना**

प्रदेश में विभिन्न स्तर के टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना हेतु। विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद की भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मानकों के अनुसार दूर संचार विभाग को भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है :–

I- नगर निगम वाले विकास प्राधिकरणों में	1000 वर्गमीटर 50: मूल्य पर।
II- अन्य स्थानों पर	1500 वर्गमीटर (आवासीय दर की आधी दर पर)

2– विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद टेलीफोन विभाग को यह भूमि, केवल टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु आवंटित करेगें, आवासीय इंकाइयों के लिए नहीं।

3– यह रियायत एक्सचेंज स्थापना हेतु केवल नयी योजनाओं (प्रथम पांच वर्ष) में 50: मूल्य पर इस शर्त के साथ दी जाय कि एक्सचेंज, आवंटन केदो वर्ष में बना लिया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : सी0एस0 86(1)/9 आ–1–98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–10, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव